समक्षः– विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रस्तुति दिनांक– 25.02.2026

अंतिम तर्क– 20.05.2026

आदेश दिनांक– 09.06.2026

जावक क्रमांक ...316...
दिनांक ...9 JUN 2026

प्रकरण क्रमांक BSP/25147

मेसर्स शुभम् शिवम् दाल मिल प्रो0 श्री तुलजाराम लेडवानी,
रायपुर रोड मुंगेली, जिला–मुंगेली (छ.ग.)
(बी.पी. नं. 1001391037)

..................परिवादी

/ विरूद्ध /

1. कार्यपालन अभियंता (सं/स) संभाग
   छ0रा0वि0वि0कं0मर्या0 मुंगेली (छ0ग0)
2. सहायक अभियंता (जोन)
   छ0रा0वि0वि0कं0मर्या0 मुंगेली (छ0ग0)

.... अनुज्ञप्तिधारी

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम बिलासपुर (छ.ग.)

समक्षः– मान0 श्री सी0एम0बाजपेयी (अध्यक्ष)
मान0 श्रीमती प्रीति रानी साव (सदस्य)

अंतिम तर्क में उपस्थित–

परिवादी की ओर से:– श्री दीपक लेढवानी उपस्थित। (17.04.2026)

अनुज्ञप्तिधारी की ओर से:– श्री जितेश दिव्य (एसटीएम) उपस्थित। (20.05.2026)

/ आदेश /

1. छ0रा0वि0प्र0संहिता 2011 के अनुसार परिवादी ने फेज मिसिंग के आधार पर जारी विद्युत देयक को निरस्त करने का अभिकथन करते हुए पुनरीक्षित देयक प्रदाय करने का निवेदन किया है।

2. परिवादी का परिवाद पत्र इस प्रकार है कि:–

सादर सन्नम निवेदन है कि हमारी फर्म शुभम् शिवम् दाल मिल रायपुर रोड, मुंगेली (छग) में सर्विस क्रमांक 1001391037 अन्य औधोगिक कनेक्शन विद्यमान है। जिसकी भार क्षमता 98 अश है। प्रार्थी के परिसर में लगे मीटर की विभाग के द्वारा हर माह एमआरआई रीड़िग के अनुसार बिलिंग किया जाता रहा है। प्राप्त नियमित बिल का भुगतान प्रार्थी/उपभोक्ता के द्वारा किया जा रहा था। अचानक से प्रार्थी को एक नोटिस/पत्र कार्यालय सहायक यंत्री जोन छराविविकंमर्या. मुगेली के द्वारा अस्थायी बिल दिनांक 23.01.2026 को बिल राशि 532250 का भुगतान करने हेतु प्राप्त होता है। जिसे पड व देखकर प्राथी को अचानक से छटका लगा कि हर माह जब विभाग के द्वारा रीडिग लेकर बिल किया जा रहा था। तो यह कैसे बिलिंग हुआ?

सत्य प्रतिलिपी

प्रार्थी के द्वारा संबधित अधिकारी से मौखिक रूप से निवेदन किया गया तो उनके द्वारा
गया कि आपके परिसर में लगा मीटर की दो फेस काम नही कर रहा था जिसके आधार
अंतर राशि निकाली गई है। परिसर में कब व किनके द्वारा जांच किया गया कोई भी जानक
उपलब्ध नही कराया गया है। सिर्फ मीटर की एमआरआई की रिपोर्ट की एक प्रति उनके द्व
उपलब्ध कराया गया है। जो कि आवेदन के साथ संलग्न है।

अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि उक्त एमआरआई रिपोर्ट की जांच करते हुये प्रार्थी
जारी देयक को निरस्त करने की कृपा करें।

**3. अनुज्ञप्तिधारी सहायक यंत्री (जोन) छ0रा0वि0वि0कं0मर्या0 मुंगेली द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा फ
कमांक/स.यं./मुंगेली/जोन/1851 मुंगेली, दिनांक 05.03.2026:–**

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि उपभोक्ता मेसर्स शुभम शिवम दाल मिल
प्रो.– श्री तुलजाराम लेडवानी, रायपुर रोड, मुंगेली द्वारा औद्योगिक विद्युत कनेक्शन (1001391037)
के मीटर टेम्पर के अतिरिक्त देयक के विरूद्ध प्रकरण प्रस्तुत किया गयां है जिसके संबंध में
संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा बिन्दुवार जानकारी चाही गयी है। प्रस्तुत परिवाद के संबंध
में बिंदुवार जवाब निम्नानुसार है–

1. परिवादी के परिसर में स्थापित विद्युत मीटर की रीडिंग प्रत्येक माह एमआरआई मशीन के माध्यम से सहायक यंत्री (जोन) छ.ग.स्टे. पॉ.डि.कं.लि. मुंगेली द्वारा नियमित रूप से ली जाती रही है।
2. दिनांक 20.02.2025 को कार्यपालन अभियंता (सतर्कता), अधीक्षक यंत्र (सं/सं.) वृत्त, बिलासपुर द्वारा परिसर की जांच की गई, जिसमें मीटर में फेस मिसिंग पाए जाने की जानकारी प्राप्त हुई।
3. एमआरआई रिपोर्ट में उपलब्ध तकनीकी जानकारी के आधार पर फेस मिसिंग की अवधि निर्धारित करते हुए नियमानुसार बिल जारी किया गया है।
4. जांच उपरांत परिसर में स्थापित मीटर को दिनांक 29.12.2025 को बदल दिया गया है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर यह निवेदन है कि प्रकरण में विभागीय कार्यवाही नियमानुसार की गई है।

4. परिवादी द्वारा प्रस्तुत तर्कः–

सहायक यंत्री, मुंगेली द्वारा दिया गया जवाब पर आपत्ति करते हुए हमारा तर्क यह है कि:–

विभाग द्वारा प्रस्तुत एमआरआई रिकॉर्ड स्वयं यह सिद्ध करता है कि शिकायतकर्ता द्वारा कोई छेड़ छाड़, अनाधिकृत उपयोग अथवा निरंतर फेस मिसिंग नहीं किया गया, बल्कि यह पूरा मामला सीएसपीडीसीएल की तकनिकी त्रुटि, प्रशासनिक लापरवाही तथा पूर्व में बिल लिए जाने के बाद पुनः बिल जारी किए जाने का है।

1. एमआरआई से सिद्ध निर्विवाद तथ्य यह है कि एमआरआई डाटा रिपोर्ट के अनुसार कम्युलेटिव इवेंट्स में फेस मिसिंग/टेंपर आक्यूरेन्स केवल दिनांक 17.08.2024 से ही दर्ज है। दिनांक 17.

सत्य प्रतिलिपी

08.2024 में पूर्व किसी भी अवधि में न तो फेस मिसिंग और न ही टेंपर इवेंट में दर्ज है। यह तथ्य स्वयं सीएसपीडीसीएल के इस दावे को खंडित करता है कि समस्या लंबे समय से चली आ रही थी।

2. फेस मिसिंग की सीमित एवं अल्पावधि एमआरआई बिलिंग रिपोर्ट (सहायक यंत्री, मुंगेली को लिखे पत्र) के अनुसार के अनुसार केवल सात बार फेस मिसिंग पाया गया है। इतनी सीमित अवधि के आधार पर लाखों रुपये का दंडात्मक आकलित बिल बनाना तकनीकी रूप मे अवैध एवं अवैज्ञानिक है। विद्युत विभाग द्वारा इसे पूर्व में ही क्यों सही नहीं किया गया।
3. यह कि फेस मिसिंग स्थायी नहीं, बल्कि अस्थायी थी। अस्थायी फेस मिसिंग को न तो टेंपरिंग कहा जा सकता है और न ही अवैध रूप से विद्युत का उपयोग। केवल 7 बार फेस मिसिंग हुआ है। सभी घटनाएँ अल्पकालिक एवं सही होने (रिस्टोर) सहित है एवं यह पैटर्न सप्लाई में बाधा एवं मीटर के करेंट के उतार चढ़ाव को दर्शाता है, उपभोक्ता की कोई जानबूझकर की गई क्रिया नहीं है।
4. मैं विभाग से यह प्रश्न करना चाहूंगा कि फेस मिसिंग अवधि में कितनी बार शटडाउन लिया गया? इन तथ्यों के अभाव में फेस मिसिंग का दायित्व उपभोक्ता पर डालना – तकनीकी रूप से गलत है।
5. यह कि शिकायतकर्ता ने संबंधित अवधि की ऊर्जा खपत का नियमित मासिक भुगतान किया है। इसके बावजूद उसी अवधि की ऊर्जा को फेस मिसिंग के नाम पर पुनः आकलित कर चार्ज किया गया। यह स्पष्ट रूप से दो बार बिल किया जा रहा है।
6. यह कि विभाग द्वारा दिए गए जबाव में उनके द्वारा बिल मीटर को खराब मानकर किया गया है अथवा नहीं इसका स्पष्ट कारण नहीं बताया गया, मीटर की त्रुटि सुधारना सीएसपीडीसीएल का दायित्व है। उपभोक्ता पर दायित्व तभी डाला जा सकता है जब उसकी गलती सिद्ध हो जो इस प्रकरण में नहीं है। वितरण कंपनी की लापरवाही से बाद में जोड़ी गई राशि की वसूली प्रतिबंधित है। विशेष ध्यानाकर्षण वाली बात यह है कि मेरे मिल में लगा मीटर यदि खराब नहीं है तो किस आधार पर यह बिल मेरे को दिया गया है और मीटर को खराब मानकर बिल किया जा रहा है तो रेगुलेशन 9.18 के हिसाब से केवल छः माह का बिल मेरे से लिया जाना चाहिए। चूंकि मीटर खराब रहा इसलिए कंपनी द्वारा इसे बदलकर नया मीटर दिनांक 29.12.2025 को लगाया गया है।
7. अतः मैं माननीय फोरम से निवेदन करता हूँ कि:
   1. सीएसपीडीसीएल द्वारा लगाया गया संपूर्ण आंकलित/दंडात्मक बिल रेगुलेशन 9.18 के अंतर्गत पूर्णतः निरस्त किया जाए।
   2. यह घोषित किया जाए कि एमआरआई डाटा उपभोक्ता के विरुद्ध नहीं बल्कि सीएसपीडीसीएल की लापरवाही सिद्ध करता है।
   3. शिकायतकर्ता को सभी दावों से पूर्ण राहत प्रदान की जाए।

5. अनुज्ञप्तिधारी सहायक यंत्री (एसटीएम) छ0रा0वि0वि0कं0मर्या0 बिलासपुर द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा दिनांक 20.05.2026:–

सत्य प्रतिलिपी

इस संबंध में कार्यपालन अभियंता कार्यालय द्वारा दिनांक 10/08/2023 को पत्र जारी कर मीटर को सेन्ट्रल लैब भिलाई में जांच कराने हेतु निर्देशित किया गया, क्योंकि एसटीएम डिविजन में उक्त मीटर की जांच संभव नहीं थी।

तत्पश्चात एसटीएम डिविजन द्वारा दिनांक 03/12/2025 को मीटर की एमआरआई ली गई, जिसमें बीफेज करेंट टर्मिनल ओपन पाया गया। एमआरआई परीक्षण अनुसार दिनांक 18/03/2024 से 03/12/2025 तक की अवधि में अतिरिक्त 68382 यूनिट पाई गई। उक्त आधार पर अतिरिक्त बिल जारी करने हेतु पत्र क्रमांक 1268 दिनांक 05/12/202 को प्रेषित किया गया।

इसके पश्चात दिनांक 09/12/2025 को एसटीएम डिविजन द्वारा सूचित किया गया कि बीफेज करेंट टर्मिनल में सुधार संभव नहीं होने के कारण मीटर को शीघ्र बदलना आवश्यक है।

सहायक अभियंता मुगेंली जोन द्वारा मीटर प्रतिस्थापन हेतु एसटीएम डिविजन को दिनांक 16/12/2025 को पत्र प्रेषित किया गया, जो दिनांक 22/12/2025 को प्राप्त हुआ।

दिनांक 29/12/2025 को एसटीएम डिविजन द्वारा पुराने मीटर क्रमांक सीएसपी05874 को हटाकर नया स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया। इस कनेक्शन में दिनांक 05/01/2026 को सोलर कनेक्शन संपादित किया गया।

6. उभयपक्ष द्वारा सुनवाई के दौरान प्रस्तुत तर्कः–

1. **परिवादी का कथन है कि** विभाग के द्वारा हर माह एमआरआई करते हुये रीडिंग करते हुये बिलिंग किया जा रहा था अचानक से फेस मिसिंग के आधार पर अतिरिक्त बिलिंग की मांग की गई जो कि गलत है। क्योंकि हम व्यापारिक है जो भी प्रोडक्शन किया जाता है सभी लागत के आधार पर व्यापार किया जाता है। आज की स्थिति में माल बिक चुका है आज की स्थिति में उसकी लागत की भरपायी कैसे कर सकता हूँ। विभाग के द्वारा 02 वर्षों से अधिक समय का बिल का डिमांड किया जाना न्यायसंगत नही है। जब प्रार्थी का एक फेस मीटर में करेन्ट प्राप्त नही हो रहा था तो उसी माह रीडिग लेने वाले अधिकारी के द्वारा प्रार्थी सूचित किया जाना था जिससें प्रार्थी उसी समय अपना मीटर बदली करवा लेते किन्तु मीटर रीडिग लेने वाले अधिकारी के द्वारा ऐसा नही किया गया है जो कि उनकी लापरवाही है। एसटीएम संभाग के द्वारा जांच के उपरांत मीटर की एक फेस मिसिंग के उपरांत उक्त मीटर को त्रुटीपूर्ण मानते हुये बदली करने की कार्यवाही की गई। इस प्रकार से उक्त मीटर दोषपूर्ण था। अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि मीटर को दोषपूर्ण मानते हुये छराविविकंम सप्लाई कोड के 9.18 के तहत् 06 माह का ही बिलिंग करने की कृपा करें। साथ ही मेरे द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अनुसार जारी अतिरिक्त राशि को माफ करने की कृपा करें।
2. यह सतर्कता जांच 20.02.2025 को हुआ एवं 29.12.2025 को मीटर बदली की गई। इतने विलंब का कारण क्या और इस पर समय समय पर आपके द्वारा क्या कार्यवाही की गई इसकी सविस्तार से जानकारी देवे।

सत्य प्रतिलिपी

Scanned with OKEN Scanner

3. अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा दिनाँक 24.04.2026 के संदर्भ में 01 पृष्ठ का बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत किया गया है। जो कि निम्नानुसार है:—

1. यह है कि दिनाँक 28.07.2023 को मीटर जांच हेतु प्राप्त हुआ है।
2. यह है कि कार्यपालन यंत्री कार्यालय द्वारा दिनांक 10.08.2023 को मीटर को सेन्ट्रल लैब भिलाई में जांच कराने हेतु निर्देशित किया गया क्योंकि एसटीएम संभाग में उक्त मीटर की जांच संभव नही थी।
3. यह है कि एसटीएम संभाग द्वारा दिनांक 03.12.2025 को मीटर की एमआरआई ली गई है। जिसमें बी फेस ओपन पाया गया है। एमआरआई रिपोर्ट अनुसार दिनॉक 18.03.2024 से 03.12.2025 तक की अवधि का कुल यूनिट 68382 यूनिट पाया गया है। जिसके आधार पर इस कार्यालय का पत्र कमांक 1268 दिनांक 05.12.2025 को प्रेषित किया गया है।
4. यह है कि दिनाँक 09.12.2025 को एसटीएम संभाग बिलासपुर द्वारा बी फेस सुधार संभव नही होने पर मीटर को शीघ्र बदलना आवश्यक है।
5. यह है कि सहायक यंत्री जोन मुगेली के द्वारा मीटर प्रतिस्थापना हेतु एसटीएम संभाग को दिनाँक 16.2.2025 को पत्र प्रेषित किया गया जो कि 22.12.2025 को प्राप्त हुआ है।
6. यह है कि 29.12.2025 एसटीएम संभाग के द्वारा पुराने मीटर को बदलकर नया स्मार्ट मीटर लगाया है। साथ ही उक्त कनेक्शन में दिनांक 05.01.2026 को सोलर कनेक्शन स्थापित किया गया है। मीटर की एमआरआई रिपोर्ट के आधार पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1268 दिनॉक 05.12.2025 के अनुसार सहायक यंत्री जोन मुगेली को पूरक देयक से संबंधित जानकारी दस्तावेज के साथ उपलब्ध कराया गया है। जो कि पूरक देयक कंपनी के नियमानुसार सहीं एवं वसुली योग्य है। जांच में मीटर में सुधार योग्य नही पाये जाने के कारण मीटर को बदली करने की कार्यवाही की गई।

7. परिवाद पत्र, जवाबदावा आरोपित/प्रत्यारोपित, तथ्यों/आधारों, संलग्न दस्तावेजों, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित एवं मौखिक तर्क के आधार पर योग्य निष्कर्ष तक पहुॅचने हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न यह है कि:—

1. **क्या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा फेज मिसिंग के आधार पर जारी किया गया अतिरिक्त देयक उचित है?**
2. **क्या परिवादी अनुज्ञप्तिधारी से वांछित अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है?**

8. **फोरम के निष्कर्ष के आधार विचारणीय प्रश्न कमांक 01 एवं 02 का सकारण निष्कर्ष :—**

1. प्रकरण के अभिलेखो में अनुज्ञप्तिधारी कमांक 1 व 2 छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के सेवारत् कर्मचारी हैं व परिवादी उक्त संस्थान का विद्युत उपभोक्ता है। परिवादी द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के संस्थान से विद्युत कनेक्शन प्राप्त किया गया, जिसका विद्युत कनेक्शन कमांक **1001391037** है।

सत्य प्रतिलिपी

2. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परिवादी को फेज मिसिंग के आधार पर अतिरिक्त राशि आंकलन कर भुगतान करने हेतु जारी किया गया। जिसे नियमानुसार पुनरीक्षित करने हेतु परिवादी के द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के कार्यालय में विधिवत् आवेदन पत्र दिया गया था।

3. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सुनवाई दिनांक 20.05.2026 में यह तर्क दिया गया है कि "कार्यपालन यंत्री कार्यालय द्वारा दिनांक 10.08.2023 को मीटर को सेन्ट्रल लैब भिलाई में जांच कराने हेतु निर्देशित किया गया क्योंकि एसटीएम संभाग में उक्त मीटर की जांच संभव नही थी। यह है कि एसटीएम संभाग द्वारा दिनांक 03.12.2025 को मीटर की एमआरआई ली गई है। जिसमें बी फेस ओपन पाया गया है। एमआरआई रिपोर्ट अनुसार दिनॉक 18.03.2024 से 03.12.2025 तक की अवधि का कुल यूनिट 68382 यूनिट पाया गया है। जिसके आधार पर इस कार्यालय का पत्र कमांक 1268 दिनांक 05.12.2025 को प्रेषित किया गया है। दिनाँक 09.12.2025 को एसटीएम संभाग बिलासपुर द्वारा बी फेस सुधार संभव नही होने पर मीटर को शीघ्र बदलना आवश्यक है। सहायक यंत्री जोन मुगेली के द्वारा मीटर प्रतिस्थापना हेतु एसटीएम संभाग को दिनाँक 16.2.2025 को पत्र प्रेषित किया गया जो कि 22.12.225 को प्राप्त हुआ है। दिनांक 29.12.2025 एसटीएम संभाग के द्वारा पुराने मीटर को बदलकर नया स्मार्ट मीटर लगाया है। साथ ही उक्त कनेक्शन में दिनांक 05.01.2026 को सोलर कनेक्शन स्थापित किया गया है। मीटर की एमआरआई रिपोर्ट के आधार पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1268 दिनॉक 05.12.2025 के अनुसार सहायक यंत्री जोन मुगेली को पूरक देयक से संबंधित जानकारी दस्तावेज के साथ उपलब्ध कराया गया है। जो कि पूरक देयक कंपनी के नियमानुसार सहीं एवं वसुली योग्य है। जांच में मीटर में सुधार योग्य नही पाये जाने के कारण मीटर को बदली करने की कार्यवाही की गई।"

4. परिवादी द्वारा यह तर्क दिया गया है कि विभाग के द्वारा हर माह एमआरआई करते हुये रीडिंग करते हुये बिलिंग किया जा रहा था अचानक से फेस मिसिंग के आधार पर अतिरिक्त बिलिंग की मांग की गई जो कि गलत है। क्योंकि हम व्यापारिक है जो भी प्रोडक्शन किया जाता है सभी लागत के आधार पर व्यापार किया जाता है। आज की स्थिति में माल बिक चुका है आज की स्थिति में उसकी लागत की भरपायी कैसे कर सकता हूँ। विभाग के द्वारा 02 वर्षो से अधिक समय का बिल का डिमांड किया जाना न्यायसंगत नही है। जब प्रार्थी का एक फेस मीटर में करेन्ट प्राप्त नही हो रहा था तो उसी माह रीडिग लेने वाले अधिकारी के द्वारा प्रार्थी सूचित किया जाना था जिससें प्रार्थी उसी समय अपना मीटर बदली करवा लेते किन्तु मीटर रीडिग लेने वाले अधिकारी के द्वारा ऐसा नही किया गया है जो कि उनकी लापरवाही है। एसटीएम संभाग के द्वारा जांच के उपरांत मीटर की एक फेस मिसिंग के उपरांत उक्त मीटर को त्रुटीपूर्ण मानते हुये बदली करने की कार्यवाही की गई। इस प्रकार से उक्त मीटर दोषपूर्ण था। अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि मीटर को दोषपूर्ण मानते हुये छराविविकंम सप्लाई कोड के 9.18 के तहत् 06 माह का ही बिलिंग करने की कृपा करें। साथ ही मेरे द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अनुसार जारी अतिरिक्त राशि को माफ करने की कृपा करें।

सत्य प्रतिलिपी

Scanned with OKEN Scanner

4. फोरम द्वारा अनुज्ञप्तिधारी से यह जानकारी चाही गई कि सतर्कता जांच 20.02.2025 को हुआ एवं 29.12.2025 को मीटर बदली की गई। इतने विलंब का कारण क्या और इस पर समय समय पर आपके द्वारा क्या कार्यवाही की गई इसकी सविस्तार से जानकारी देवे। जिस पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इतने अधिक विलंब का प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया, जो कि अनुज्ञप्तिधारी की अपने कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही को स्पष्ट प्रदर्शित करता है।

5. उभयपक्ष द्वारा दिए गए तर्क एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर फोरम का निष्कर्ष यह है कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जारी किया गया अतिरिक्त देयक को **छ०रा०वि०प्रदाय संहिता 2011 की कंडिका 10.18 के तहत्** जारी किया गया अतिरिक्त देयक परिवादी से नियमानुसार वसूल किया जाना न्यायसंगत होगा।

6. चूंकि अनुज्ञप्तिधारी कमांक 1 व 2 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वि.क.मर्या. के अधीनस्थ कर्मचारी हैं। अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा किये गये समस्त कार्यवाही अपने पदीय दायित्वों व पदीय कर्तव्यों के हैशियत से किये जाने से अनुज्ञप्तिधारी प्रस्तुत प्रकरण में तथ्यों का जो भार है, वह छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वि.कं.मर्या. का दायित्वधीन के अंतर्गत है।

9. उपरोक्त संपूर्ण विवेचना के आधार पर इस फोरम की सुविचारित मत एवं **छ.रा.वि.प्र.संहिता 2011** एवं **छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित दिनांक** 06.03.2023 के अंतर्गत परिवादी अपना परिवादपत्र, अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध आंशिक रूप से प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः परिवादी का परिवाद पत्र नियमानुसार स्वीकार किया जाता है, और अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध निम्न आदेश पारित किया जाता है:–

1. **अनुज्ञप्तिधारी को आदेश दिया जाता है कि परिवादी को फेज मिसिंग के आधार पर जारी किए गए देयक को छ०रा०वि०प्रदाय संहिता 2011 की कंडिका 10.18 के तहत् दो वर्ष तक का विद्युत देयक जारी किया जावे तथा फेज मिसिंग की संपूर्ण अवधि का जो देयक परिवादी के नियमित देयक में जोड़ा गया है उसमें अधिरोपित अधिभार को निरस्त किया जावे एवं परिवादी द्वारा उक्त देयकों के विरूद्ध भुगतान की गई राशि को नियमानुसार समायोजित किया जावे।**
2. **अनुज्ञप्तिधारी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी द्वारा किश्त में भुगतान हेतु आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावे।**

(मुहर: विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, बिलासपुर (छ.ग.))

तदानुसार आदेश पारित किया गया।

10. यदि परिवादी इस आदेश से संतुष्ट न हो तो 45 दिन के अंदर विद्युत लोकपाल, कार्यालय विद्युत लोकपाल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक भवन परिसर, सिंचाई कॉलोनी, शांतिनगर रायपुर में अपील कर सकता है।

सही/- (प्रीति रानी साव) सदस्य	सत्यप्रतिलिपि प्रभारी वि.उ.शि.नि.फो. बिलासपुर (छ.ग.)	सही/ (सी.एम. बाजपेयी) अध्यक्ष

Scanned with OKEN Scanner